राजस्थान–सरकार
Government of Rajasthan

निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान

DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY

खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur-313001
दूरभाष/Phone : 2415091-95, फेक्स/Fax : (0294)-2410526

क्रमांक : निखाभू/टोंक/सीसी–4/प–1(1)2/2009/242 दिनांक : 23.2.2010

आदेश

चूंकि मेसर्स अरिहन्त माईन्स, टोंक(राज.) द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत खनिज फेल्सपार, क्वार्ट्ज एवं माइका के लिए निकट ग्राम मुण्डिया तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में खननपट्टा अनुदान हेतु दिनांक 22.01.2009 को कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, टोंक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

और चूंकि निदेशालय सन्तुष्ट है कि आवेदक राज्य में प्रवर्त्तमान सम्बद्ध नियमों के अनुसार उक्त क्षेत्र में खननपट्टा अनुदान हेतु उपयुक्त पक्ष(पार्टी) है तथा वह क्षेत्र जिसके लिए आवेदक द्वारा रियायत चाही गई है, अनुदान के लिए रिक्त है एवं भारतीय खान ब्यूरौ, क्षेत्रीय खान नियन्त्रक कार्यालय, उदयपुर के पत्र क्रमांक–स. 584(4)(3)(1101)क्षेखानि–अजम/दि.08.01.2010 के द्वारा नियमानुसार माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान का अनुमोदन हो चुका है।

अतः खनिज रियायत नियम, 1960 तथा खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों, उल्लेखित निबन्धों/प्रतिबन्धों पर आवेदक के पक्ष में निम्नांकित खननपट्टा स्वीकृत किया जाता है :

1.	खनिज	:	फेल्सपार, क्वार्ट्ज एवं माइका।
2.	क्षेत्रफल व क्षेत्र का विवरण	:	4.00 हेक्टेयर, निकट ग्राम मुण्डिया, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक में विवरण पत्र के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल मौके पर सीमांकन के समय उपलब्ध भूमि के अनुसार निर्धारित होगा।
3.	खननपट्टा अवधि	:	संविदा पंजीयन की तिथि से 30 वर्ष तक।
4.	स्थिर भाटक	:	खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की तृतीय अनुसूची के अनुसार एवं समय–समय पर उसमें संशोधनानुसार।
5.	प्रतिभूति राशि	:	रु.10,000/– (अक्षरे दस हजार रुपये मात्र)।
6.	अधिशुल्क	:	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार एवं समय–समय पर उसमें संशोधनानुसार।
7.	भूतल भाटक	:	जैसा कि राजस्व अधिकारी निर्धारित करें।
8.	अन्य कर	:	राजकीय नियमानुसार।
9.	अन्य शर्तें	:	पट्टाधारी संविदा निष्पादन से पूर्व एम.सी.डी.आर.,1988 के नियम 23(एफ) के तहत वित्तीय आश्वासन के रूप में रु.15,000/– प्रति हेक्टेयर अथवा रु.1,00,000/– जो भी अधिक हो, उसके बराबर नियमों में दिये गये प्रावधान के अनुसार जमा करावेगा।

<u>नोट</u> :

1. यदि अनुदानी हस आदेश की तारीख से छः माह के भीतर समुचित इकरारनामा निष्पादित नहीं करायेगा तो यह आदेश बिना सूचना के ही प्रतिसंह्वत(रीवोक) कर लिया जायेगा।

2. जब तक अनुदानी समुचित इकरारनामा निष्पादित कर संविदा का पंजीयन करा प्रस्तुत नहीं कर दे, तब तक क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ नहीं करेगा।
3. Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत क्षेत्र बेसमेटल के हवाई सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण कार्य हेतु स्वीकृत Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र धारक को पूर्वेक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
4. Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत क्षेत्र कोई बेसमेटल पाया जाता है एवं बेसमेटल का कोई खननपट्टा स्वीकृत होता है तो आपके पक्ष में स्वीकृत खान को अनुदान हेतु छोड़ना होगा।

निदेशक,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक : निखाभू/टोंक/सीसी–4/प–1(1)2/2009/243–54 **दिनांक : 23.2.2010**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. सहायक खनि अभियंता, टोंक को उनके पत्र क्रमांक 371 दिनांक 01.06.2009 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ कि :
   (क) संविदा निष्पादन हेतु समस्त औपचारिकताएं स्वीकृति आदेश प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के भीतर पूर्ण करावें एवं संविदा निष्पादन आदेश जारी होने की तिथि से छः माह मे किया जावें।
   (ख) सीमांकन रिपोर्ट मे इस आशय का प्रमाण पत्र संबधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता द्वारा दिया जायेगा कि सीमांकित क्षेत्र वन भूमि मे नही आता है एवं भूमि से 25 मीटर से अधिक दूरी पर है।
   (ग) आवेदक से आदेश के नोट मे अंकित क्रम संख्या 3 व 4 के अनुसार अण्डर टेकिंग प्राप्त कर संविदा निष्पादन करे।

रजि.ए.डी. 2.
मेसर्स अरिहन्त माईन्स टोंक द्वारा श्री पद्मचन्द जैन, जैन धर्मशाला के सामने, टोडारायसिंह, जिला टोंक(राज.) को भेजकर लेख है कि संविदा निष्पादन की पूर्ण औपचारिकता आदेश प्राप्ति के 45 दिन के भीतर पूर्ण करावें एवं आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह में संविदा निष्पादन आवश्यक रूप से करावें, अन्यथा बिना सूचना के स्वीकृति आदेश विलोपित कर दी जावेगा।

3. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, प्रथम मंजिल, डी–ब्लॉक, सिविल लाईन, इन्दिरा भवन, नागपुर।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर जोन जयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियंता, जयपुर वृत्त, जयपुर ।
7. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ।
8. जिला कलेक्टर, टोंक।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षण भूवैज्ञानिक(रिमोट सेन्सिंग), के.का., उदयपुर।
11. सहायक निदेशक (सांख्यिकीय), के.का., उदयपुर।
12 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.II)